

अनुदान संख्या 15 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 15- DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	2546,00,00		
		3558,03,00	2979,96,75	-578,06,25
पूरक	Supplementary	1012,03,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			444,00,29
पूंजीगत :	Capital:			
स्वीकृत -	Voted -	161,00,00	150,01,85	-10,98,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6,39,61

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में कुल बचतें (₹57806.25 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए ₹101203.00 लाख के पूरक अनुदान का 57 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹57806.25 lakhs) constituted 57 percent of the supplementary grants of ₹101203.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and 16 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services			
मू.	O.	58130.00		
		62915.00	62056.86	-858.14
पु.	R.	4785.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	23700.00		
पू.	S.	10121.00	1936.85	..
पु.	R.	-31884.15		-1936.85
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	172380.00		
पू.	S.	91081.00	240099.86	229563.58
पु.	R.	-23361.14		-10536.28
मुख्य शीर्ष "3453"	Major Head "3453"			
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion			
मू.	O.	310.00		
पू.	S.	1.00	6371.00	6363.79
पु.	R.	6060.00		-7.21

(I) ₹33921.00 लाख का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹33721.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹33921.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹33721.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- under the following heads:-

(का) "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी" -

(A) "Telecommunication and Electronics Industries - Electronics"-

(क) "उन्नत परिकलन विकास केंद्र" - ₹2000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)" - ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of any proposal from North Eastern Region and Sikkim.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ख) “मानकीकरण परीक्षण और गुणता प्रमाणीकरण”- ₹400.00 लाख; | (b) “Standardisation Testing and Quality Certification (STQC)”- ₹400.00 lakhs; |
| (ग) “जनशक्ति विकास कार्यक्रम (सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास सहित)”- ₹2500.00 लाख; | (c) “Manpower Development Programme (incl. skill Development in IT)”- ₹2500.00 lakhs; |
| (घ) “इलेक्ट्रानिकी अभिशासन” - ₹10300.00 लाख; | (d) “Electronics Governance”- ₹10300.00 lakhs; |
| (ङ) “जनसमूह के लिए सूचना प्रौद्योगिकी” - ₹200.00 लाख; | (e) “IT for Masses”- ₹200.00 lakhs; |
| (च) “प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आई टी आर ए सहित)”- ₹800.00 लाख; | (f) “Technology Development Council (incl. ITRA)” - ₹800.00 lakhs; |
| (छ) “अभिमुखीकरण, संचार और सामरिक इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम” - ₹300.00 लाख; | (g) “Convergence, Communication and Strategic Electronics Programme” - ₹300.00 lakhs; |
| (ज) “भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास” - ₹400.00 लाख; | (h) “Technology Development for Indian Languages (TDIL)”- ₹400.00 lakhs; |
| (झ) “साइबर सुरक्षा (सी ई आर टी - इन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित)” - ₹400.00 लाख; | (i) “Cyber Security (including CERT-In IT Act)”- ₹400.00 lakhs; |
| (ञ) “स्वास्थ्य और पार चिकित्सा इलेक्ट्रानिकी” - ₹200.00 लाख; | (j) “Electronics in Health and Telemedicine” - ₹ 200.00 lakhs ; |
| (ट) “राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र” - ₹11121.00 लाख (₹10121.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) ; | (k) “National Knowledge Network”- ₹11121.00 lakhs (including supplementary grant of ₹ 10121.00 lakhs) ; |
| (ठ) “डी ओ ई ए सी सी” - ₹300.00 लाख; और | (l) “DOEACC “- ₹300.00 lakhs ; and |
| (खा) “सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - सचिवालय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र” - ₹4800.00 लाख । | (B) “Secretariat Economic Services – Secretariat - National Informatics Centre”- ₹4800.00 lakhs. |

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग” के अन्तर्गत ₹626.89 लाख की बचत (₹6230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत नए पद न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2852” - “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “सूक्ष्म - इलेक्ट्रानिकी और नैनो - प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम” - ₹3728.73 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “मानकीकरण परीक्षण और गुणता प्रमाणीकरण” - ₹594.83 लाख की बचत (₹6450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) “उन्नत परिकलन विकास केंद्र” - ₹133.87 लाख की बचत (₹16300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टाफ की भर्ती में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) “स्वास्थ्य और टेली चिकित्सा इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम” - ₹586.47 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों से नई परियोजना के लिए कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) “इलेक्ट्रानिकी अभिशासन” - ₹66284.74 लाख की बचत (₹92700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजनागत प्रावधान पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(चा) “जनसमूह (लिंग, अनुसूचित जाति/ अनसूचित जनजाति) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी” - ₹503.95 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजनागत प्रावधान पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat – Department of Information Technology”- saving of ₹ 626.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6230.00 lakhs) was due to non-filling up of new sanctioned posts in various cadres.

(III) Under Major Head “2852” – “Telecommunication and Electronics Industries – Electronics” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Micro-Electronics and Nano-Technology Development Programme” - saving of ₹3728.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) ; and

(B) “Standardisation Testing and Quality Certification (STQC)”- saving of ₹594.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6450.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate viable proposals and utilisation certificates.

(C) “Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)” – saving of ₹133.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16300.00 lakhs) was due to delay in recruitment of staff.

(D) “Electronics in Health and Telemedicine Programme” – saving of ₹586.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non-receipt of any appropriate proposal for new project from North Eastern States.

(E) “Electronic Governance” – saving of ₹66284.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹92700.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and cut imposed on plan provisions at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(F) “IT for Masses (Gender, SC/ST)” - saving of ₹503.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1200.00 lakhs) was due to cut imposed on plan provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(छा) “प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक” - ₹541.35 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी स्टाफ की भर्ती के लिए अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹161.03 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत और 84 प्रतिशत थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹42710.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2852” - “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी” -

(क) “मीडिया प्रयोगशाला एशिया” - ₹530.00 लाख।

(ख) “राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र” - ₹36120.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹36119.00 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3453” - “अन्य व्यय - विभागीय रूप से खर्च किया गया व्यय” - ₹6060.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6052.79 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र” - ₹4553.75 लाख का अधिक व्यय (₹51900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” - “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी” -

(क) “प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (आईटीआरए सहित)” - ₹663.77 लाख का अधिक व्यय (₹7100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(G) “Controller of Certifying Authorities (CCA)” – saving of ₹541.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to delay in obtaining approval for recruitment of technical staff.

(IV) Under two heads savings of ₹ 161.03 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹ 100.00 lakhs and constituting 37 percent and 84 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹42710.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads :-

(A) Major Head “2852”– Telecommunication and Electronics Industries- Electronics”-

(a) “Media Lab Asia”- ₹530.00 lakhs.

(b) “National Knowledge Network”- ₹36120.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹36119.00 lakhs.

(B) Major Head “3453”- “Other Expenditure – Expenditure incurred Departmentally” – ₹6060.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6052.79 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “3451”-”Secretariat – National Informatics Centre” – excess of ₹4553.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51900.00 lakhs);

(B) Major Head “2852”-”Telecommunication and Electronics Industries – Electronics” –

(a) “Technology Development Council Projects (including ITRA)”- excess of ₹663.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7100.00 lakhs);

- (ख) “जनशक्ति विकास (सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास सहित)” - ₹804.09 लाख का अधिक व्यय (₹8800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) “भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास” - ₹247.00 लाख का अधिक व्यय (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (घ) “डीओईएसीसी” - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (b) “Manpower Development (Including skill Development in IT)”- excess of ₹804.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8800.00 lakhs);
- (c) “Technology Development for Indian Languages (TDIL)”- excess of ₹247.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs); and
- (d) “DOEACC” – excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹870.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
------------------------------	----------------------------------------	------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष “4552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas	
मू.	O.	2900.00
पु.	R.	-2900.00

..

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"			
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunications and Electronic Industries			
मू.	O.	2300.00		
			2160.39	1733.56
				- 426.83
पु.	R.	-139.61		
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services			
मू.	O.	10900.00		
			13300.00	13268.29
				-31.71
पु.	R.	2400.00		

(I) ₹2900.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹2850.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552"- "इलेक्ट्रानिकी - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "मशीनरी और उपस्कर" - ₹450.00 लाख ; और

(खा) "राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र" - ₹2400.00 लाख ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2900.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹2850.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" "Electronics-Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Machinery and Equipments"- ₹450.00 lakhs; and

(B) "National Informatics Centre" - ₹2400.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “4859” - “इलेक्ट्रानिकी - अन्य व्यय - भूमि और भवन” के अंतर्गत ₹677.12 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव और उपयोग प्रमाण प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष “4859” - “इलेक्ट्रानिकी - अन्य व्यय - मशीनरी और उपस्कर” - ₹110.68 लाख का अधिक व्यय (₹1550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष “5475” - “अन्य व्यय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र” - ₹2368.29 लाख का अधिक व्यय (₹10900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “4552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head “4859” - “Electronics – Other Expenditure - Land and Buildings” – saving of ₹ 677.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals and utilisation certificates from North Eastern States.

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “4859” - “Electronics - Other Expenditure – Machinery and Equipments”- excess of ₹110.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs); and

(II) Major Head “5475”- “Other Expenditure – National Informatics Centre” - excess of ₹2368.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10900.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.